न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा
जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :– मृदुला शेखावत, (आर.ए.एस)
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 87/2024

प्रार्थीया :–

1.श्रीमति पपूडी पत्नी भगवानराम जाति कुम्हार निवासी रावर तहसील बिलाडा जिला जोधपुर

बनाम

अप्रार्थी :–

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाडा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

उपस्थिति :– प्रार्थीगण – श्री गणपतलाल चौधरी अधिवक्ता।
अप्रार्थी– सरकारी पैरोकार

निर्णय दिनांक :– 8/01/25

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम रावर तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 246 रकबा 37 बीघा 16 बिस्वा स्थित है। यह भूमि मंगलाराम, जैरूपराम पिसरान रूघाराम 2/3 हिस्सा, बचनाराम, मिश्रीलाल, भानाराम, वीरमराम, लूम्बाराम पिसरान हमीरराम 1/3 हिस्सा की खातेदारी की थी। संयुक्त खातेदार मंगलाराम, जैरूपराम पिसरान रुधाराम 2/3 हिस्सा, बचनाराम, मिश्रीलाल, भानाराम, वीरमराम, लूम्बाराम पिसरान हमीरराम 1/3 हिस्सा ने आपसी सहमति से भूमि खसरा नम्बर 246 रकबा 37 बीघा 16 बिस्वा का बंटवाड़ा कर लिया, उक्त बंटवाड़ा को नायब तहसीलदार बिलाड़ा ने स्वीकार कर उसकी पालना में नामान्तरकरण संख्या–639 स्वीकृत किया जाकर खसरा नम्बर 246 रकबा 10 बीघा 16 बिस्वा मंगलाराम, जैरूपराम पिसरान रूघाराम के बंट में तथा खसरा नम्बर 246/1 रकबा 3 बीघा बचनाराम पुत्र हमीरराम के बंट में तथा खसरा नम्बर 246/2 रकबा 12 बीघा भानाराम पुत्र हमीरराम के बंट में तथा खसरा नम्बर 246/3 रकबा 12 बीघा वीरमराम पुत्र हमीरराम के बंट में रखी गयी एवं भूमि का अलग अलग बंट एवं हिस्से अनुसार काबिज काश्त हो गये। खातेदार वीरमराम पुत्र हमीरराम ने अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 246/3 रकबा 12 बीघा में से 7 बीघा 15 बिस्वा को दिनांक 09.04.2010 को जरिये बैचान रजिस्ट्री प्रार्थी श्रीमती पपूडी को कर दिया एवं भूमि का कब्जा सुपुर्द कर दिया। उक्त वैचाननामा दिनांक 09.04.2010 के आधार पर प्रार्थी के नाम से नामान्तरकरण संख्या 1051 दिनांक 05.06.2010 को स्वीकृत किया जाकर राजस्व रेकर्ड जमाबंदी संवत् 2054 से 2057 में खातेदारी इन्द्राज कर दी गयी। जो जमाबंदी संवत् 2054 से 2057 वास्ते सबूत साथ में पेश है। प्रार्थी अभी दस दिन पहले अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 246/3 रकबा 7 बीघा 15 बिस्वा पर ऋण प्राप्त करने हेतु हल्का पटवारी के पास जमाबंदी की नकल लेने हेतु गयी और हल्का पटवारी से अपनी खातेदारी की जमाबंदी की नकल तैयार करने हेतु कहा गया, जिस पर हल्का पटवारी ने राजस्व रेकर्ड जमाबंदी आदि को देखकर

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

प्रार्थी को बताया कि आपने खसरा नम्बर 246/3 रकबा 7 बीघा 15 बिस्वा भूमि को खरीद किया है, जिसकी जमाबंदी संवत् 2054 से 2057 में आपका नाम दर्ज है लेकिन आगे की जमाबंदी संवत् 2058 से 2061, 2074 से 2077 में खातेदारी अंकित ही नही है। यह सुनकर प्रार्थी बड़ी आश्चर्यचकित हुयी और तहसीलदार साहब से सम्पर्क किया तो तहसीलदार साहब ने बेचाननामा दिनांक 09.04.2010 तथा उसके आधार पर स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या-1051 तथा जमाबदी संवत् 2054 से 2057 की नकल देखकर प्रार्थी को बताया कि बैचाननामा दिनांक 09.04.2010 के अनुसार जमाबंदी संवत् 2054 से 2057 की नकल देखकर प्रार्थी को बताया कि बैचाननामा दिनांक 09.04.2010 के अनुसार जमाबंदी संवत् 2054 से 2057 में आपकी खातेदारी दर्ज की हुयी है, लेकिन उसके आगे की जमाबंदी संवत् 2074 से 2077 कम्प्यूटराईज्ड करते समय हल्का पटवारी द्वारा गलती से आपकी नाम की जमाबंदी को बनाने से भूल गया है और प्रार्थी को कहा कि आप न्यायालय में शुद्धि का प्रार्थना पत्र पेश करे तब आपका न्यायालय निर्णय अनुसार पुनः जमाबंदी व नक्शा आदि में आपकी खातेदारी इन्द्राज कर दी जायेगी। प्रार्थी की खातेदारी से नाम हटाने से पूर्व प्रार्थी को कोई नोटिस या सुनवायी का अवसर नही दिया गया, अतः सारी कार्यवाही प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विरुद्ध है।
यह है कि राजस्व रेकर्ड में परिवर्तन केवल म्यूटेशन के आधार पर ही किया जा सकता है एवं म्यूटेशन किसी न्यायालय के निर्णय, डिक्री, आदेश से या बेचान हस्तान्तरण के आधार पर ग्राम पंचायत या तहसीलदार द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है। मौजूदा मामले में न तो राजस्व रेकर्ड में परिवर्तन का किसी न्यायालय का कोई निर्णय या आदेश है तथा न कोई म्यूटेशन स्वीकृत किया गया है। अतः पटवारी द्वारा बीना आधार एवं अनाधिकृत तौर से रेकर्ड से खातेदारी हटाने में भूल की गयी है, जिसे पुनः खातेदारी दर्ज कराने की प्रार्थी अधिकारी है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर ग्राम रावर तहसील बिलाड़ा की भूमि खसरा नम्बर 246/3 रकबा 7 बीघा 15 बिस्वा की जमाबंदी संवत् 2074 से 2077 में खातेदारी एवं नक्शा अंकित करने का आदेश फरमावें। अन्य कोई उचित आदेश प्रार्थी के पक्ष में हो अता फरमावें।

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी को सम्मन बाद तामिल पेश हुए। अप्रार्थी सरकारी पैरोकार की ओर से जवाब पेश किया गया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम रावर के खसरा नंबर 246 रकबा 37-16 बीघा आई हुयी है। जो लूम्बाराम पुत्र हमीरराम 1/3 के नाम की खातेदारी थी। पद सं. 1 में वर्णित भूमि का उपरोक्त खातेदारों द्वारा आपसी सहमति से बंटवाडा कर लिया था जिसका नामा. सं. 639 भरा जाकर स्वीकृत हुआ है। मंगलाराम, जैरूपराम पि. रूधाराम के बंट में खसरा नंबर 246 रकबा 10-16 बीघा, बचनाराम पुत्र हमीराम के बंट में खसरा नंबर 246/1 रकबा 3 बीघा, भानाराम पुत्र हमीरराम के बंट में खसरा नबर 246/2 रकबा 12-00 बीघा, वीरमराम पुत्र हमीरराम के बंट में 12-00 बीघा भूमि रखी गई। वीरमराम पुत्र

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

हमीरराम द्वारा अपने हिस्से की भूमि में से 7-15 बीघा भूमि दिनांक 9.4.2010 को जरिये रजिस्ट्री बैचान कर दी थी। जिसका नामा. 1051, दिनांक 5.6,2010 को भरा जाकर स्वीकृत हुआ है। जमाबंदी 2054 से 2057 की फोटो प्रति संलग्न है। नई ज़माबंदी चौसाला तैयार करते समय लिपिकीय भूलवश नामा. सं. 1051 की प्रविष्टि को नहीं लिया गया है, इस लिपिकीय भूल के सुधार की आवश्यकता है।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि जमाबंदी चौसाला 2054 से 2057 के खाता सं. 284 में अमलदरामद नामा. 1051 दिनांक 5.6.2010 जो कि अग्रिम जमाबंदी चौसाला में नहीं लिया गया है। इस लिपिकीय भूल का सुधार करते हुए श्रीमति पपुडी पत्नी भगवानराम के नाम खसरा नंबर 246/3 रकबा 7-15 बीघा किस्म बारानी प्रथम अमलदरामद किये जाने में भूमिधारी सहमत है।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी, प्रार्थीया अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया और प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रेकर्ड दुरूस्ती का निवेदन किया। अप्रार्थी सरकारी पैरोकार ने जवाब के तथ्यों को दोहराया और दुरूस्ती किये जाने पर सहमति जाहिर की। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात जमाबंदी संवत् 2054-2057 में खसरा नंबर 246/3 में प्रार्थीया पपुडी पत्नी भगवानराम जाति कुम्हार के नाम से खातेंदारी में दर्ज है। ऑनलाईन जमाबंदी चौसाला 2074 से 2077 तैयार करते समय लिपिकीय भूलवश प्रार्थीया पपुडी पत्नी भगवानराम दर्ज नहीं की गई। इसलिए उपरोक्त लिपिकीय त्रुटि को दुरूस्त किया जाना उचित है।

अतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी को आदेश दिया जाता है कि ग्राम रावर तहसील बिलाडा के खसरा नम्बर 246/3 रकबा 7 बीघा 15 बिस्वा में जमाबंदी संवत् 2074 से 2077 में दुरूस्ती की जाकर प्रार्थीया पपुडी पत्नी भगवानराम जाति कुम्हार नाम दर्ज किये जाये एवं तहसीलदार बिलाडा को आदेशित किया जाता है कि वो उपरोक्तानुसार शुद्धि का नामान्तरकरण भरें। पत्रावली फैसललशुमार होकर नम्बर से कम हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 08/07/25 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा